न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू
पीठासीन अधिकारी :– श्री विजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
49/2023	111, 128 LRA	31.08.2023	28.05.2025

1. मालपूरी पुत्र देबीपूरी जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

1. कानपूरी पुत्र भोमपूरी जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
2. मोहनपूरी पुत्र भोमपूरी जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
3. गिरधारी पुत्र केशुपूरी जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
4. दीपचंद पुत्र गोदुराम जाति गोसाई निवासी जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू
5. तहसीलदार चूरू

– अप्रार्थीगण–

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री अनंत राम सोनी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिहाग अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकार राज

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1. यह कि खेत खसरा सं. 210, 211, 278 व 547/279 रकबा क्रमशः 0.0253 हैक्टेयर, 0.6577 हैक्टेयर, 0.8600 हैक्टेयर व 0.1265 हैक्टेयर भूमि रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं पटवार हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं भू.अ.नि. क्षेत्र खींवासर तहसील व जिला चूरू में प्रार्थीगण के खातेदारी का कब्जा काश्त है। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी संवत 2070 से 2073 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी की प्रमाणित प्रति प्रार्थना–पत्र हाजा के साथ पेश है।
2. यह कि प्रार्थीगण के खेतों के चिपते ही उतर–दक्षिण, पूर्व–पश्चिम भुजाओं की तरफ कृषि भूमियां नीचे लिखे अनुसार हैं– कृषि भूमि ख. न. 786/548 हैं को अप्रार्थी सं 01 काश्त करता है तथा उसकी एकल खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है इसी प्रकार कृषि भूमि खेत खसरा सं. 285, 212 रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं चूरू को अप्रार्थी सं. 2 काश्त करता है तथा अप्रार्थी सं. 2 की एकल खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है एवं कृषि भूमि खेत खसरा सं. 774/206 रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं चूरू को अप्रार्थी सं. 03 काश्त करता है तथा अप्रार्थी सं. 03 की एकल खातेदारी वा काब्जा काश्त की भूमि है, इसी प्रकार कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:36 IST
Reason: SelfAttested

खेत खसरा सं. 209, 277 रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं चूरू को अप्रार्थी सं. 04 काश्त करता है तथा अप्रार्थी सं. 04 की एकल खातेदारी वा कब्जा काश्त की भूमि है – प्रार्थी के खेत की सींव अंकन स्पष्ट नहीं है जिससे प्रार्थी वा अप्रार्थीगण (1 से 04) के बीच सीमा को लेकर तनाजा रहता है जिससे अप्रार्थीगण काश्त के समय सींव को काटकर अपने खेत की सीमा को बढ़ा लेते है जिससे अप्रार्थीगण काश्त के मौसम में नाहक ही मुझ प्रार्थी के साथ अप्रार्थीगण तनाजा वा झगड़ा फसाद करते रहते है प्रार्थी को यह विश्वास है कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 04 द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि को दबाया जकार प्रार्थी की भूमि में प्रवेश किया हुआ हैं– प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार सीमाकंन करने हेतु व प्रार्थी की भूमिकी सीमा से लगते निशानदेही करने हेतु निवेदन किया गया एवं प्रार्थी द्वारा कोशिश किये जाने पर अप्रार्थीगण झगडालू स्वभाव होने से उन्होंने उक्त निशानदेही करने एवं मानने से इंकार हो गये – इस प्रकार से प्रार्थी एवं उसके सीमावर्ती खेतों के मध्य पुख्ता सींव नहीं होने से सीमा को लेकर झगड़ा फसाद एवं तनाव रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया है कि अपने खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि का पुख्ता सींमाकन करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवायी जावें जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3. यह कि प्रार्थी एवं उनके सीमावर्ती उपरोक्त खेतों की सीमाएं मौके पर स्पष्ट अंकन नहीं होने से अप्रार्थीगण का प्रार्थी से काश्त के समय मनमुटाव सीमा का लेकर बना रहता है चूंकि प्रार्थी शांतिप्रिय व्यक्ति है जो विधिवत रूप से अपनी एकल खातेदारी की कृषि भूमि का नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाकर सीमाकंन करवाना चाहता है ताकि भविष्य में उक्त खेतों के पड़ौसियों के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो इसलिए प्रार्थी उक्त आश्य का प्रार्थना–पत्र अदालतवाला में प्रस्तुत किया जा रहा है।

4. यह कि अप्रार्थी सं. 1 से 04 प्रार्थी के खेतों के सीमा पड़ोसी है और भविष्य में सीमा को लेकर कोई विवाद ना रहे इसलिए इन सभी अप्रार्थीगण को इस प्रार्थना–पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

5. यह कि पत्थरगढ़ी व निशानदेही में लगने वाला खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है तथा अदालतवाला को इस प्रार्थना–पत्र के सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। पत्थरगढ़ी तहसीलदार चूरू के माध्यम से अनुभवी पटवारी व गिरदावर की टीम गठित की जाकर करवाई जानी आवश्यक है– यहाँ यह भी उल्लेख किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त खेत खसरों की नपती बाबत् प्रार्थना–पत्र देने पर प्राप्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति भी इस प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न हैं – अप्रार्थी सं. 05 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं– तहसीलदार उक्त कृषि भूमि के भूस्वामी हैं एवं पत्थरगढ़ी इन्ही के मार्फत की जानी हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं प्रार्थी की कृषि भूमि खेत खसरा सं. 210, 211, 278 व 547/279 रकबा क्रमशः 0.0253 हैक्टेयर, 0.6577 हैक्टेयर, 0.8600 हैक्टेयर व 0.1265 हैक्टेयर भूमि रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं पटवार हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं भू.अ.नि. [illegible] तहसील व जिला चूरू की अप्रार्थी सं. 05 से टीम गठित करवाई [illegible] में पुख्ता पत्थरगढ़ी व सीमांकन करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता नरेन्द्र सिहाग ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है–

1. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 में अंकित तथ्य प्रार्थी स्वयं सक्षम साक्ष्य से साबित करें इसलिए अस्वीकार किये जाते हैं।
2. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 2 में अंकित तथ्य कृषि भूमि ख.नं. 786/548 मुझ प्रार्थी के एकल स्वामित्व की होने के तथ्य सही दर्ज करवाये जाने के कारण स्वीकार है। इस मद के अन्य तथ्य पूर्णतया सही दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण अस्वीकार है। मुझ प्रतिवादी की उपरोक्त कृषि भूमि के चारों ओर पुख्ता सींव डली हुई है एवं सीमांकन बाबत कोई झगड़ा फसाद नहीं है मुझ अप्रार्थी की 72 वर्ष उम्र है प्रार्थी द्वारा गलत आधारों पर यह प्रार्थना–पत्र कानूनी प्रावधानों के विपरित मनमाने तरीके से पेश किया है।
3. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 3 में अंकित तथ्य काल्पनिक मुझ अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से गलत दर्ज करवाये जाने के कारण अस्वीकार है।
4. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 में अंकित तथ्य प्रार्थी स्वयं सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित करें बिना अस्वीकार किये जाते हैं।
5. यह कि प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 5 में अंकित तथ्य प्रकरण में 80 सीपीसी का नोटिस पेश नहीं किया गया है जो कानूनन आवश्यक है इसके अभाव में प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं है कानूनन खारिज योग्य है एवं इस मद के अन्य तथ्य कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। मुझ अप्रार्थी के खेत के चारों ओर पुख्ता सीमांकन बहुत वर्षों से चला आ रहा है।

चूंकि सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी उभय पक्षकारों की उपस्थिति में करवाया जाना है । प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 01 ता 02 की ओर से अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह ने उपस्थिति दी परन्तु इनकी ओर से न तो कोई वकालतनामा पेश किया गया ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 03 ता 04 पर विधिवत तामील होने के बावजूद इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया जिससे निम्न तथ्य उजागर होते हैं कि प्रार्थी द्वारा धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वह खेत खसरा संख्या 210, 211, 278 एवं 547/279, कुल रकबा 1.6695 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार है, परन्तु उक्त भूमि की सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं। सीमावर्ती अप्रार्थीगण द्वारा बार–बार अतिक्रमण करने एवं सीमा को लेकर विवाद [illegible] की बात कहते हुए पत्थरगढ़ी व सीमांकन की मांग की गई। प्रार्थी [illegible] 2074 वि. संवत) से यह स्पष्ट है कि वह उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। [illegible] पटवारी की रिपोर्ट भी संलग्न है, जिसमें सीमांकन की आवश्यकता बताई गई है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया, किन्तु अन्य अप्रार्थीगण की ओर से या तो जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया अथवा वकालतनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:36 IST
Reason: SelfAttested

Au.

दाखिल नहीं किया गया। अतः न्यायालय ने इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी भूमि पर सीमांकन होने की बात स्वीकार की, साथ ही यह भी कहा कि यदि सीमांकन प्रार्थी की भूमि का होता है तो उन्हें आपत्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण में धारा 80 सी.पी.सी. के अंतर्गत नोटिस नहीं दिया गया, किन्तु यह न्यायालय राजस्व प्रकृति का है, न कि सिविल न्यायालय, अतः धारा 80 सीपीसी इस पर लागू नहीं होती। सीमा विवाद की स्थिति में खातेदार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी भूमि का विधिवत सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करा सके। प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्यों से स्पष्ट है कि भूमि का सीमांकन आवश्यक है ताकि भविष्य में विवाद से बचा जा सके। प्रार्थी ने व्यय वहन करने की स्वीकृति दी है एवं तहसीलदार को पत्थरगढ़ी की वैधानिक प्राधिकारी माना है। प्रस्तुत वाद में वादकर्ता की भूमि एवं सीमावर्ती भूमि के मध्य सीमा स्पष्ट नहीं है, जिससे समय–समय पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अतः यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि वादकर्ता की भूमि का सीमांकन करवाकर पत्थरगढी करवाई जाए। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से किसी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

संपूर्ण पत्रावली, दस्तावेज, बहस एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.स. 210, 211, 278 व 547/279 रकबा क्रमशः 0.0253 हैक्टेयर, 0.6577 हैक्टेयर, 0.8600 हैक्टेयर व 0.1265 हैक्टेयर भूमि रोही जोड़ी पट्टा सात्यूं पटवार हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं भू.अ.नि. क्षेत्र खींवासर तहसील व जिला चूरूकी सीमांकन दिनांक 10.06.2023 के अनुसार पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जाए। इस हेतु राजस्व की एक टीम गठित की जाए, जिसमें संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार/नायब तहसीलदार सम्मिलित हों, जो मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में नियमानुसार रिपोर्ट पटवारी थैलासर की सीमांकन दिनांक 10.06.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी करें। कार्यवाही से पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना दी जाए ताकि वे सीमांकन के समय उपस्थित रह सकें। सीमांकन एवं पत्थरगढी की समस्त कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करें। सीमांकन एवं पत्थरगढी में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे। अप्रार्थी संख्या 05 (तहसीलदार) को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते हैं कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:36 IST
Reason: SelfAttested

(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू